सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचारः

157. वर्तमान समय में **e-governance** के बिना **good governance** संभव नहीं है। अतः शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, हमने राज्य सरकार के योजना बजट का 3 प्रतिशत भाग, विभिन्न विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं कंप्यूटराईजेशन पर ख़र्च करने के निर्देश दिये थे। आगामी वर्ष इस हेतु लगभग 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्त्व को देखते हुए, इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।

158. राज्य में इस वर्ष एक नवीन आधुनिक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करते हुए आगामी वर्ष ब्लॉक एवं जिला स्तर पर लगभग 3 हजार 400 सरकारी कार्यालयों को 'राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क' से जोड़कर, 120 करोड़ रुपये की लागत से सूचना–तंत्र विकसित किया जायेगा।

159. विभिन्न जन–सेवायें, जैसे जाति व मूल निवास प्रमाण–पत्र, जन्म–मृत्यु पंजीकरण, लोक सेवा आयोग के आवेदन व प्रवेश पत्र प्राप्त करने, नगर निकायों तथा अन्य संस्थाओं के भुगतान इत्यादि की सुविधायें नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, **'राजस्थान ऑन लाइन परियोजना'** लागू की जायेगी, ताकि ई–गवर्नेंस का वास्तविक लाभ जनता को सुलभ हो सके।

160. इसके अतिरिक्त **State Service Delivery Gateway** योजनान्तर्गत 7 विभागों की 42 सेवाओं हेतु घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

161. अजमेर और जोधपुर जिलों में पायलट आधार पर ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत जिला कलक्टर कार्यालय से जुड़ी हुई सेवायें इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाई जायेंगी।

162. राज्य सरकार के संवेदनशील, जवाबदेह एवं पारदर्शी शासन देने के संकल्प के क्रम में भंडार क्रय नियम एवं निविदा प्रणाली **(Store Purchase Rules and Tender System)** में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु **'राजस्थान पारदर्शिता विधेयक' (Rajasthan Transparency Act)** लाया जायेगा। इस विधेयक में ई–प्रोक्योरमेंट को चरणबद्ध रूप से लागू करने के प्रावधान भी शामिल किये जायेंगे। प्रथम चरण में अभियांत्रिकी विभागों की 50 लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाओं हेतु ई–प्रोक्योरमेंट का उपयोग करना अनिवार्य किया जायेगा।